



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

FAM नं. 2012 का 137

जगत पाल सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष, पिता- R.D.सिंह, R/o मा
मालती भवन, विक्रम सुपर बाजार के सामने, विद्यानगर, P.S.
तारबहार, तहसील एवं जिला बिलासपुर(छ.ग.)

-----अपीलार्थी

विरुद्ध

साधना जन पिता- स्वर्गीय अधीर चंद्र जाना, जिनकी आयु लगभग 54
वर्ष थी, गली नं. R-2 विनोबा नगर, गायत्री मंदिर के पास, P.S.
तारबहार, तहसील और जिला बिलासपुर (C.G.)

----- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से: - श्री सुनील सोनी, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से: - श्री सी.के. केशरवानी, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमती. न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर,

निर्णय द्वारा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जे.

05.08.2019

1. यह अपील कुटुंब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा सिविल वाद सं.
197 क/2011 दिनांकित 25.09.2012 में पारित आक्षेपित निर्णय और



डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा, अपीलार्थी के वाद को समय बाधित और पुर्वन्याय के सिद्धांत दोनों के रूप में खारिज कर दिया गया है।

2. अन्य बातों के अलावा अपीलार्थी के द्वारा, प्रत्यर्थी ने उसके साथ धोखाधड़ी की थी और कई जानकारियों को दबाया था, धारा 12 (i) (c) के तहत विवाह की शून्यता की डिक्री की मांग करते हुए एक मामला दर्ज किया। शादी के समारोह के समय सामग्री की जानकारी, जिसे 27.02.2004 को गंभीरता से लिया गया था।

शिकायत के आरोप के अनुसार, अपीलार्थी को पता चला कि प्रत्यर्थी/पत्नी के बायो-डेटा जो उसे भेजे गए थे, उसमें सही तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था और अपीलार्थी को योग्यता, जाति, जन्म तिथि, परिवार की स्थिति और प्रत्यर्थी के भाई के व्यवसाय के संबंध में धोखा दिया गया था। आगे की दलीलें यह थीं कि जब अपीलार्थी ने विभिन्न जानकारी, दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र किए, तो वह संतुष्ट था कि उसे धोखाधड़ी के अधीन किया गया है ताकि किसी तरह यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के साथ शादी कर ले। इस अभिवचन और कार्रवाई के कारण पर अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (i) (c) के तहत विवाह की शून्यता की डिक्री की मांग करते हुए एक मामला दर्ज किया।



3. प्रत्यर्थी ने जवाबदावा दर्ज कर मामले का विरोध किया और कहा कि तथाकथित धोखाधड़ी का आरोप सही नहीं है। प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा बायो-डेटा में दी गई हर जानकारी सही थी और इसे दबाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रत्यर्थी/पत्नी ने विशेष रूप से अनुरोध किया कि अपीलार्थी ने विवाह का प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन देते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा प्रत्यर्थी ने अपनी मामले में कहा कि प्रत्यर्थी एक चिकित्सा व्यवसायी थी और उसके पास एक बहुत ही अच्छा पारिवारिक आधार था जो जैव-डेटा में सही ढंग से कहा गया था। उसके भाई के व्यवसाय के बारे में जानकारी भी तथ्यात्मक रूप से सही थी और इसमें कोई गलत नहीं है।

4. विद्वान कुटुंब न्यायालय ने दो प्रारंभिक प्रश्न निर्मित किया। पहला यह था कि क्या मामला समयावधि के भीतर है और दूसरा यह था कि क्या वाद पुर्वन्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्जित है।

5. पहला प्रश्न पर, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी का अभिवचन कि उसे धोखाधड़ी के बारे में पता चला था और यह मामला संस्थित करने से ठीक पहले पता चला था, सही नहीं है क्योंकि, पहले अपीलार्थी ने 14.10.2009 को तलाक की डिक्री की मांग करते हुए मामला दर्ज किया था। उस मामले में, वाद में,



अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया था कि प्रत्यर्थी ने उन आधारों पर उसके साथ धोखाधड़ी की थी जो वर्तमान मामले में दर्ज वाद में कहा गया था। उस आधार पर, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने एक निष्कर्ष अभिलिखित किया कि कथित धोखाधड़ी, यहां तक कि अपीलार्थी के अनुसार उसे कम से कम 14.10.2009 को ज्ञात था, जब तलाक की डिक्री की मांग करने वाला पहला मामला दर्ज किया गया था। इसलिए, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 2 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।

6. पुनः न्यायिकता के मामले पर, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने श्रीमती के मामले में इस उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय पर भरोसा किया। माया तिवारी बनाम अजय उर्फ बाबा शुक्ला, 2008 (2) सी. जी. एल. जे. 406 ने अभिनिर्धारित किया कि जब अपीलार्थी ने पूर्व मामला दर्द किया था, तो उसने इस मुद्दे को उसी मुकदमे में भी उठाया था, केवल क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री दी गई थी। इस आधार पर, विद्वान कुटुंब न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन आधारों और आधारों पर बाद के वाद को पूर्वन्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया था।



7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दो गुना प्रस्तुतियाँ की हैं।

सबसे पहले, परिसीमा के मामले पर, अपीलार्थी के विद्वत वकील का तर्क होगा कि भले ही यह इसके पूर्व स्वीकार किया जाना था कि 14.10.2009 को तलाक की डिक्री के अनुदान के लिए पूर्व मामला दर्ज करते समय, अपीलार्थी ने खुलासा किया था कि उस पर धोखाधड़ी की गई थी, वह एक वर्ष के भीतर मामला दर्ज कर सकता था जब उस संबंध में भौतिक साक्ष्य के संग्रह के बाद उस पर धोखाधड़ी के संबंध में पूरी जानकारी उसके संज्ञान में आई। वह तर्क देगा कि जहां तक धारा 12 की उप-धारा 2 में निहित प्रावधान का संबंध है, यह इस तरह की सीमा की अवधि प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह धोखाधड़ी का पता चलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही वाद को रोकता है। उनके अनुसार, धोखाधड़ी का यह पता तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि धोखाधड़ी के समर्थन में पूर्ण भौतिक साक्ष्य एकत्र नहीं किया जाता है और अपीलार्थी/वादी के हाथों में नहीं आ जाता है।

दूसरा निवेदन यह है कि, भले ही, पहले वाद में, उनका अभिवचन कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा धोखाधड़ी के अधीन था, अपीलार्थी ने वास्तव में इस आधार पर विवाह की





शून्यता की कोई डिक्री नहीं मांगी कि विवाह उस पर की गई धोखाधड़ी के कारण उसके विकल्प पर अमान्य था। उन्होंने कहा कि इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं बनाया गया था और पहले के मामले में जो प्रश्न निर्मित किये गए थे, वे केवल कथित क्रूरता से संबंधित थे।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा सौंपे गए कारणों को देखते हुए, मामला न केवल सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है, बल्कि पूर्वन्याय द्वारा भी वर्जित है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

10. विद्वान कुटुंब न्यायालय के अभिलेख और आक्षेपित निर्णय को देखने के बाद, हम पाते हैं कि वादी का वाद विचारणीय नहीं था और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 2 के तहत इस कारण से वर्जित था जो कि उल्लंघन है।

11. अपीलार्थी/पति द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि दिसंबर 2010 के महीने में, प्रत्यर्थी ने उसकी जाति, आयु, पारिवारिक स्थिति, उसके भाई के व्यवसाय आदि से संबंधित उसके सभी विवरणों का उल्लेख करते हुए उसका जैव डेटा देते समय उसके साथ धोखाधड़ी



की। मुद्दों को तैयार करने के बाद, विद्वान परिवार न्यायालय ने, सीमा के पहले मामले पर, यह अभिनिर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत मुकदमा वर्जित था क्योंकि कथित धोखाधड़ी का तथ्य वादी को पहले से ही लंबे समय से पता था। यह विवाद में नहीं है कि वादी ने पहले 14.10.2009 को एक वाद दर्ज किया था, जिसमें प्रतिवादी/पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग की गई थी। उस वाद में, वादी ने एक बहुत ही स्पष्ट दावा किया था कि प्रतिवादी ने अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी की थी क्योंकि उसने अपनी जाति, जन्म तिथि, परिवार की प्रतिमा और अपने भाई के व्यवसाय का सही ढंग से खुलासा नहीं किया था। इसलिए, जाहिर है, कम से कम 14.10.2009 से, कथित

वादी के अनुसार धोखाधड़ी का खुलासा उसे किया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि वादी के स्वयं कथित धोखाधड़ी दिखाने का पता 14.10.2009 को लगा जब उसने वाद दायर किया। इस मामले में, जहां अपीलार्थी ने विवाह को शून्य घोषित करने वाली डिक्री की मांग की है और इस आधार पर निरर्थकता की डिक्री द्वारा रद्द करने की मांग की है कि अपीलार्थी/वादी की सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, जो अपीलार्थी/पति के संज्ञान में 14.10.2009 को आई थी, याचिका को धोखाधड़ी का पता चलने या पता चलने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी।





12. इस संबंध में सुसंगत प्रावधान, जैसा कि धारा 12 (2) में निहित है, इस प्रकार है: -

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी विवाह को रद्द करने के लिए कोई याचिका नहीं -

(a) उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर विचार किया जाएगा यदि -

(i) बल के काम करना बंद करने के एक वर्ष से अधिक समय के बाद या, जैसा भी मामला हो,

धोखाधड़ी का पता चलने के बाद प्रस्तुत की गई याचिका, या

(ii) याचिकाकर्ता, अपनी पूरी सहमति से, विवाह के दूसरे पक्ष के साथ पति या पत्नी के रूप में रहा है, जब बल का संचालन बंद हो गया था या, जैसा भी मामला हो, धोखाधड़ी का पता चला था।

(b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

13. उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मैं निर्दिष्ट आधार पर विवाह को रद्द करने के लिए कोई याचिका नहीं धारा 12 (2) (ए) (आई) पर विचार किया जाएगा, यदि धोखाधड़ी का पता चलने के एक वर्ष से अधिक समय बाद याचिका प्रस्तुत की जाती



है। इस प्रकार, जहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (2) (ए) (आई) में उल्लिखित आधार पर विवाह की शून्यता की डिक्री मांगी गई है, वहां धोखाधड़ी का पता चलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मामला दर्ज करना होगा। वर्तमान मामले में, प्रत्यक्षतः, इस तथ्य की खोज, अपीलार्थी के स्वयं दिखाने पर, 14.10.2009 को हुई थी, जब तलाक की डिक्री की मांग करने वाला पहला वाद अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी/पत्नी के विरुद्ध दायर किया गया था। यदि एक वर्ष की अवधि की गणना 14.10.2009 से की जानी है, तो अपीलार्थी को 14.10.2010 को या उससे पहले धोखाधड़ी के आधार पर निरर्थकता की डिक्री का अनुरोध करते हुए वाद दर्ज करना अपेक्षित था, जबकि वर्तमान मामले में, वाद 13.06.2011 को देर से दर्ज किया गया है।

14. अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील का यह निवेदन कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (2) (ए) (आई) में 'ज्ञात' शब्द के रूप में होने का तर्कसंगत रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसका अर्थ यह किया जाना चाहिए कि इसमें न केवल धोखाधड़ी की खोज शामिल है, बल्कि धोखाधड़ी को साबित करने के लिए सभी भौतिक साक्ष्य भी स्वीकृति के बराबर नहीं हैं। उक्त प्रावधान में ऐसी व्याख्या की गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है कि खोज न केवल धोखाधड़ी की होनी चाहिए बल्कि धोखाधड़ी को साबित करने के लिए प्रत्येक भौतिक साक्ष्य होना चाहिए। विधायिका स्पष्ट रूप से यह प्रावधान



करती है कि विवाह को रद्द करने के लिए किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि यह धोखाधड़ी का पता चलने के एक वर्ष से अधिक समय बाद दायर की जाती है और इसलिए, धोखाधड़ी की खोज की तारीख और विवाह के संग्रह की कोई बाद की तारीख नहीं है।

सही/-
न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन
श्रीवास्तव

सही/-
न्यायाधीश विमला सिंह कपूर

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।